अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

स0आ0सं0— 14/अ0प्र0—02—70/2024 8678 /पटना, दिनांक— 11.8.25

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 वर्ल्ड बैंक अन्तर्गत एकरारनामा संख्या—MBD/MMGSY-WORLD BANK/07/2020-21 के तहत् 03 पथों यथा (1) श्यामपुर लक्ष्मी चौक प्रधानमंत्री सड़क से नसीबा होते हुए पूर्वी चम्पारण सीमान तक पथ (लम्बाई—2.82 कि0मी0) (2) झीटकाही मोड़ प्रधानमंत्री सड़क से मसहा पुल मठ टोला, सहनी टोला होते हुए माधोपुर सुन्दर तक पथ (लम्बाई—1.62 कि0मी0) एवं (3) बैद्यनाथपुर छपरा आर0ई0ओ0 पथ से विश्म्भरपुर पूर्वी टोला होते हुए छपरा डेरा टोला तक पथ (लम्बाई—2.17 कि0मी0) के निर्माण एवं पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य हेतु संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0, अहमद कैप्स खलीलपुरा रोड, एफ0सी0आई0 गोदाम के नजदीक शीशु पब्लिक स्कुल के बगल में फुलवारी शरीफ पटना के साथ किया गया। संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 से किये गये एकरारनामा के अनुसार एकरारनामा की राशि कुल रू0—5,08,85,014/—, एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि दिनांक—24.09.2021 एवं कार्य समाप्त करने की तिथि दिनांक—23.09.2022 थी।

(2) संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 द्वारा एकरारित अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक—802 दिनांक—02.06.2023 के माध्यम से एकरारनामा विखंडित किया गया एवं सकारण आदेश ज्ञापांक—1418 दिनांक—16.10.2023 के माध्यम से कुल रू0—86,91,254/— की वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया। संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के संदर्भित एकरारनामा विखंडन एवं वसूली संबंधी कृत कार्रवाई के विरूद्ध रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या—5874/2024, टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—196.02.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:—

"5. In sum and substance the authority is of the view that the petitioner having entered into agreement with the Executive Engineer, he is competent to pass the order. However, it is to be noted that the Engineer-in-Chief has not delegated any powers to cancel or rescind the contract. The Executive Engineer cannot pass the impugned order on the ground that the Engineer-in-Chief has delegated the power to sign the agreement. With all due respect, the same cannot be construed as delegating the power for passing the order of cancellation. When the agreement/MBD/MMGSY-World Bank/07 of 2021-22 speaks of particular thing to be done in a particular manner that has to be scrupulously followed without any deviation unless the authority (Engineer-in-Chief) has delegated the specific powers to cancel the agreement. The agreement entered between the parties (Annexure P/2) and the terms

and conditions enumerated therein more specifically Clause 57.1, speaks of termination, the said clause makes it abundantly clear that the employer of the contractor may terminate the contract, if the other party causes any fundamental breach of contract after giving 14 days written notice. The term employer has been defined in Section 9 at CGC [1.1 (r)] the employer is Engineerin-Chief, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna.

6. Having regard to the above, the impugned order dated 02.06.2023 and the order dated 16.10.2023 passed by the Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Sheohar, (Respondent No. 4) is without jurisdiction and the same are accordingly set aside. The matter is remanded back to the authority concerned (Respondent No. 2) for passing orders afresh. The Respondent No. 2 shall put the petitioner on notice and call for his explanation and, thereafter, pass a reasoned order duly taking into account the explanation submitted by the petitioner herein strictly in accordance with law.

7. With the above directions, the present writ petition stands allowed to the extent indicated above."

(3) माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संदर्भित रिट याचिका में दिनांक–19.02.2025 को पारित न्यायादेश के उल्लेखीत कार्यकारी अंश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का उल्लेख किया गया है कि MBD की कंडिका– 57.1 के अनुसार संवेदक के साथ किया गया एकरारनामा को विखंडित करने की शक्ति Breach of Contract की स्थिति में 14 दिनों का लिखित सूचना दिये जाने के पश्चात् Employeer को है। साथ ही MBD की कंडिका–1.1 CGC की कंडिका–09 में Employeer को अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के द्वारा दिनांक–02.06.2023 एवं 16.10.2023 को पारित आदेश को उनके कार्यक्षेत्र से बाहर उल्लेखित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा इन दोनों आदेशों का निरस्त (Set-aside) करते हुए सम्पूर्ण मामले को प्रतिवादी संख्या–02 जो अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना है को सौपते हुए उन्हें नियमानुकूल आदेश पारित करने का न्यायादेश देते हुए संदर्भित रिट याचिका निष्पादित की गयी है।

(4) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उनके पत्रांक–1292 दिनांक–31.07.2025 के माध्यम से भवदीय को सूचित किया गया है कि याचिकाकर्त्ता संवेदक द्वारा उनके कार्यालय में दिनांक–30.07.2025 को अभ्यावेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा इस आशय का उल्लेख किया गया है कि एकरारित दर पुराना होने के कारण वे कार्य करने में असमर्थ है। साथ ही याचिकाकर्त्ता संवेदक द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए एकरारनामा को Foreclose करने एवं अग्रधन, जमानत एवं अन्य मदों में कटौती की गयी राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस क्रम में याचिकाकर्त्ता संवेदक द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त राशि प्राप्त होने के पश्चात् उनके द्वारा विभाग के उपर किसी प्रकार का अन्य दावा पेश नहीं किया जायेगा।

(5) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उल्लेखित पत्र के माध्यम से एकरारनामा के अधीन के तीनों पथों की वर्तमान स्थिति से अवगत् कराया गया है जो निम्नवत् है:–

(क) श्यामपुर लक्ष्मी चौक प्रधानमंत्री सड़क से नसीबा होते हुए पूर्वी चम्पारण सिमान तक पथ (लंबाई–2.820 कि0मी0):– इस पथ में संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 के द्वारा WBM-III स्तर तक कार्य किया गया था एवं किये गये कार्य के विरूद्ध रू0–113.38896 लाख का भुगतान किया था। एकरारनामा विखंडन के पश्चात् प्राक्कलन को पुनरीक्षित करते हुए निविदा प्रक्रिया पुरी कर शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए "देव्यानी स्टील प्रा0लि0" द्वारा एकरारनामा किया गया था एवं वर्तमान में पथ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ख) झिटकाहीं मोड़ प्रधानमंत्री सड़क से मसहाँ पुल मठ टोला, सहनी टोला होते हुए माधोपुर सुंदर तक पथ (लंबाई–1.620 कि0मी0):– इस पथ में संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 के द्वारा पुलिया का कार्य किया गया था एवं किये गये कार्य के विरूद्ध रू0–14.17628 लाख का भुगतान भी किया गया था। एकरारनामा विखंडन के पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता–06 के पत्रांक–1291 दिनांक–24.10.2024 के द्वारा स्वीकृति हेतु विभाग को समर्पित है।

(ग) बैद्यनाथपुर छपरा आर0ई0ओ0 पथ से विशम्भरपुर पूर्वी टोला होते हुए छपरा डेरा टोला तक पथ (लंबाई–2.17 कि0मी0):– इस पथ में संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0 के द्वारा केवल मिट्टी का कार्य किया गया एवं उसका Compaction नहीं किया गया जो मापी योग्य नहीं था। एकरारनामा विखंडन के पश्चात् पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता–6 के पत्रांक–1291 दिनांक–24.10.2024 के द्वारा स्वीकृति हेतु विभाग को समर्पित है।

(6) उपरोक्त के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उल्लेखित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में संदर्भित एकरारनामा के तहत् Scope Of Work नहीं रहने एवं पुराने दर पर कार्य करने में याचिकाकर्त्ता संवेदक द्वारा असहमति व्यक्त करने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा संदर्भित रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में एकरारनामा पुर्नजीवित होने के पश्चात् भी याचिकाकर्त्ता संवेदक से कार्य कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यपालक अभियंता के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन यथा "Set aside of Termination of Agreement" के पश्चात् विभागीय ज्ञापांक–3585 दिनांक–28.11.2024 के माध्यम से एकरारनामा विखंडल के फलस्वरूप याचिकाकर्त्ता संवेदक को Blacklisting की कृत कार्रवाई को निरस्त करते हुए योजना को Foreclose करने तथा अग्रधन एवं जमानत की राशि लौटाने हेतु अनुशंसा की गयी है।

(7) अतएव वर्णित तथ्यों, साक्ष्यों, माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के साथ–साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा की गयी अनुशंसा तथा एकरारित पथों के निर्माण के संदर्भ में बदली हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक–802 दिनांक–02.06.2023 के माध्यम से एकरारनामा विखंडन की कृत कार्रवाई तथा पत्रांक–1418 दिनांक–16.10.2023 के माध्यम से वसूली हेतु निर्गत कार्रवाई को रद्द करते हुए संदर्भित एम0एम0जी0एस0वाई0 वर्ल्ड बैंक अन्तर्गत एकरारनामा संख्या–MBD/MMGSY-WORLD BANK/07/2020-21 एकरारनामा को पुर्नजीवित किया जाता है। साथ ही उल्लेखित बदली हुई परिस्थितियों में संदर्भित एकरारनामा के तहत् कार्य पुरा नहीं किये जा सकने के फलस्वरूप

एकरारनामा Foreclose करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर को याचिकाकर्त्ता संवेदक को अग्रधन, जमानत एवं अन्य मदों में कटौती की गयी राशि को लौटाने हेतु निदेशित किया जाता है।

11/8/25
(मो0 सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–70/2024 8678 /पटना, दिनांक– 11.8.25

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता–06, दरंभगा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर को उनके पत्रांक–1292 दिनांक–31.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–02–70/2024 8678 /पटना, दिनांक– 11.8.25

प्रतिलिपि– संवेदक टेकवेल कन्स0 प्रा0लि0, अहमद कैप्स खलीलपुरा रोड, एफ0सी0आई0 गोदाम के नजदीक शीशु पब्लिक स्कुल के बगल में फुलवारी शरीफ पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/25
अभियंता प्रमुख